

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल


क्रमांक / ~~एफ~~ 3263 / 2017 / 17 / मेडि-1 /

भोपाल, दिनांक 20.02.2018

आदेश

डॉ. नीता बंसेरिया, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, मुरैना के अनाधिकृत अनुपस्थित होने के संबंध में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला मुरैना के पत्र क्रमांक 8792 दिनांक 11.08.2017 से प्राप्त सूचना के आधार पर डॉ. नीता बंसेरिया, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, मुरैना को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आधार पर विभाग के पत्र क्रमांक/मेडि-227/2017/3263 दिनांक 23.01.2018 द्वारा आरोप-पत्रादि जारी किये गये थे। आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर दिनांक 07.02.2018 को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने स्वयं की प्रसूति एवं स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने के संबंध में अवगत कराया है एवं कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति चाही है।

डॉ. नीता बंसेरिया के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर जिला चिकित्सालय, मुरैना में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विभागीय जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने के पश्चात समुचित निर्णय यथा समय लिया जावेगा।


/ (कवीन्द्र कियावत)
सचिव

मध्य प्रदेश शासन


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक / ~~एफ~~ 3263 / 2017 / 17 / मेडि-1 /

भोपाल, दिनांक 20.02.2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर (म.प्र.)।
03. उप संचालक (विज्ञापन), स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मुरैना (म.प्र.)।
05. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला मुरैना की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. नीता बंसेरिया, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, मुरैना के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना से अवगत करावे। साथ ही संलग्न अभ्यावेदन पर अपने अभिमत सहित प्रस्ताव आयुक्त, स्वास्थ्य के माध्यम से प्रेषित करें।
06. डॉ. नीता बंसेरिया, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला मुरैना की ओर पालनार्थ।
07. स्टॉक फाईल।


/ सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल


क्रमांक/एफ-५५५.../3192/2017/17/मेडि-1,

भोपाल, दिनांक 22.02.2018

आदेश

डॉ. इसरार उद्दीन अब्बासी, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, रायसेन के अनाधिकृत अनुपस्थित होने के संबंध में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 6133-36, दिनांक 23.08.2017 से प्राप्त सूचना के आधार पर डॉ. इसरार उद्दीन अब्बासी, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, रायसेन को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आधार पर विभाग के पत्र क्रमांक/मेडि-132/2017/3192 दिनांक 23.01.2018 द्वारा आरोप-पत्रादि जारी किये गये थे। डॉ. इसरार उद्दीन अब्बासी, चिकित्सा अधिकारी ने स्वयं उपस्थित होकर अवगत कराया की माताजी की अस्वस्थता के कारण वे कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित थे एवं उन्होंने पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति चाही है।

डॉ. इसरार उद्दीन अब्बासी, चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर जिला चिकित्सालय, रायसेन में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विभागीय जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने के पश्चात समुचित निर्णय यथा समय लिया जावेगा।


(कवीन्द्र कियावत)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ-५५५.../3192/2017/17/मेडि-1,

भोपाल, दिनांक 22.02.2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल (म.प्र.)।
03. उप संचालक (विज्ञप्त), स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायसेन (म.प्र.)।
05. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला रायसेन की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. इसरार उद्दीन अब्बासी, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, रायसेन के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना से अवगत करावे।
06. डॉ. इसरार उद्दीन अब्बासी, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला रायसेन की ओर पालनार्थ।
07. स्टॉक फाईल।



सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / ⁵²⁴एफ-3253 / 2017 / 17 / मेडि-1 /

भोपाल, दिनांक 20.02.2018

आदेश

डॉ. रश्मि उपाध्याय, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, भिण्ड के अनाधिकृत अनुपस्थित होने के संबंध में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला भिण्ड के पत्र क्रमांक 3842-47 दिनांक 04.08.2017 से प्राप्त सूचना के आधार पर डॉ. रश्मि उपाध्याय, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, भिण्ड को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आधार पर विभाग के पत्र क्रमांक / मेडि-229 / 2017 / 3253 दिनांक 23.01.2018 द्वारा आरोप-पत्रादि जारी किये गये थे। आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर दिनांक 20.02.2018 को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने स्वयं की प्रसूति एवं स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने के संबंध में अवगत कराया है एवं कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति चाही है।

डॉ. रश्मि उपाध्याय के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर जिला चिकित्सालय, भिण्ड में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विभागीय जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने के पश्चात समुचित निर्णय यथा समय लिया जावेगा।



(कवीन्द्र कियावत)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक / ⁵²⁵एफ-3253 / 2017 / 17 / मेडि-1 /

भोपाल, दिनांक 20.02.2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्य प्रदेश।
02. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर (म.प्र.)।
03. उप संचालक (विज्ञप्त), स्वास्थ्य सेवायें, स्थानीय कार्यालय की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भिण्ड (म.प्र.)।
05. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला भिण्ड की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डॉ. रश्मि उपाध्याय, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, भिण्ड के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना से अवगत करावे। साथ ही संलग्न अभ्यावेदन पर अपने अभिमत सहित प्रस्ताव आयुक्त, स्वास्थ्य के माध्यम से प्रेषित करें।
06. डॉ. रश्मि उपाध्याय, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला भिण्ड की ओर पालनार्थ।
07. स्टॉक फाईल।



सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग